

॥ न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ॥

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता, आई.ए.एस.

अपील संख्या 22/2014

अपीलाण्ट

बनाम

रेस्पोंडेंट

1. श्रीमती भंवर कंवर पत्नी रूगसिंह पुत्री गुणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खाभा हाल निवासी ग्राम एका पंचायत रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
2. श्रीमती किशन कंवर पत्नी शैतानसिंह पुत्री गुणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धायसर हाल निवासी ग्राम एका पंचायत रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

1. श्रीमती सायर कंवर पत्नी गुणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम एका तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।
2. जसवन्तसिंह पुत्र श्री राणीदानसिंह जाति राजपूत निवासी गांव सुजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र राणीदान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सूजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
4. प्रेमसिंह पुत्र राणीदान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सूजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
5. भगवानसिंह पुत्र श्री राणीदानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सूजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
6. श्रीमती दाखों कंवर पत्नी श्री राणीदानसिंह जाति राजपूत निवासी गांव सुजासर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
7. तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर



नामान्तरण अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरण संख्या 251 स्वीकृत दिनांक 04.05.1993 ग्राम एका द्वारा नायब तहसीलदार, पोकरण

उपस्थित :

1. श्री अब्दुल रहमान मेहर, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से
2. श्री दामोदर महेचा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से
3. प्रत्यर्थीगण संख्या 1,4, 5, 6 अनुपस्थित
4. परोकार राज (तहसीलदार जैसलमेर)

निर्णय

दिनांक : 18-07-2019

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम एका पटवार हल्का रामदेवरा के खसरा नम्बर 57, 168 व 167 रकबा क्रमशः 57-08 बीघा, 38-08 बीघा, 0-12 बीघा खातेदार राणीदान सिंह, विजयसिंह पुत्र बलवंत सिंह व श्रीमती सायर कंवर पत्नी गुणपत सिंह के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार श्री विजय सिंह कुआंरा लाओलाद फौत होने पर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 251/04.05.1993 जो नायब तहसीलदार पोकरण द्वारा स्वीकृत किया गया जो उसके भाई राणीदान व अन्य भाई गुणपत सिंह की पत्नी सायर कंवर के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि वे गुणपत सिंह की जायन्दा पुत्रियां हैं जिससे अपने पिता के भाई विजयसिंह की भूमि के हिस्से में अपनी माता के नाम के साथ

50  
जिला कलक्टर  
जैसलमेर

उनका भी नाम होना चाहिए था। अपीलाण्ट ने बिना सुनवाई प्रश्नगत नामान्तरण भरकर स्वीकार करने को विधि सम्मत नहीं हेना कथन कर उक्त भूमि में अपनी माता के नाम के साथ अपना नाम भी सम्मिलित कराने का अनुतोष चाहा है। समयावधि के बिन्दु पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि प्रश्नगत नामान्तरण दिनांक 04.05.1993 की जानकारी उन्हें दिनांक 10.07.2014 को हुई जिस पर दिनांक 11.07.2014 को नकले ली और दिनांक 21.07.2014 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ताओं की हड़ताल शुरू हो गई जो समाप्त होने पर दिनांक 11.08.2014 को अपील पेश है। अपील में कारित विलम्ब का शमन कर अपील समयावधि में शुमार कर प्रश्नगत नामान्तरण अपास्त कर प्रश्नगत भूमि में गुणपत सिंह की पत्नी सायर कंवर के साथ उनके नाम भी सह खातेदार के रूप में दर्ज किये जाये।

प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अपील के प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि सहखातेदार काश्तकारी अभिधारी के रूप में प्रास्थिति की घोषणा नामान्तरण कार्यवाही में नहीं की जा सकती है। नामान्तरण कार्यवाही भूमि पर अधिकार/स्वत्व प्रदान नहीं करती है। यह वित्तीय कार्यवाही है जो लगान वसूली की सुनिश्चिता तक सीमित है। प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 251/04.05.1993 विजयसिंह की मृत्यु पर भरा गया है जिसे चुनौती दी गई है। विजयसिंह पुत्र बलवंत सिंह की अपीलाण्ट किस वर्ग की उत्तराधिकारी है और किन परिस्थितियों में उनमें विजयसिंह के उत्तराधिकारी की प्रास्थिति से हित अंतरित होते हैं, यह उत्तराधिकारी कानून का जटिल प्रश्न है जिसे नामान्तरण की सरसरी कार्यवाही व उसकी अपील में तय किये जाने योग्य बिन्दु नहीं है जबकि विजयसिंह के उत्तराधिकारी होने से संबंधित कोई सामग्री अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं है। इस आधार पर प्रश्नगत अपील गुणहीन व सारहीन ठहरती है। जवाब में आगे कथन किया गया है कि अपीलाण्ट भंवर कंवर व किशन कंवर की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या शपथ पत्र किशन कंवर की ओर से दिया गया है जिसमें तथ्यों की जानकारी प्रथम बार दिनांक 10.07.2014 को होना असत्य रूप कथन किया गया है। अपीलाण्ट भंवर कंवर व किशन कंवर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील, जो नामान्तरण संख्या 104/22.09.1977 के विरुद्ध की गई है, अपील संख्या 20/2013 में तथ्यों की जानकारी दिनांक 03.09.2013 को हल्का पटवारी से होने का कथन कर शपथ पत्र दायर किया गया है। वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 जसवंत सिंह व महेन्द्र सिंह का नाम भी अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के समक्ष दायर अपील संख्या 20/2013 में प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 पर दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को उक्त भूमि के अधतन राजस्व इन्द्राज की तत्समय दिनांक 03.09.2013 को जानकारी थी व उनकी ओर से दिनांक 10.07.2014 को प्रथम बार जानकारी होने का मिथ्या कथन कर वर्तमान अपील में शपथ पत्र दिया गया है। प्रत्यर्थी की ओर से अपील अत्यंत विलम्ब से प्रस्तुत होने व इस विलम्ब का कोई दिन प्रतिदिन विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण नहीं होने व विलम्ब के लिये मिथ्या शपथ पत्र को आधार बनाने के आधार पर ही अपील खारिज करने का अनुरोध कर मिथ्या शपथ पत्र के लिये अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 191, 192, 193 भारतीय दण्ड संहिता के आपराधिक कृत्य के लिये दाण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क रहा कि उन्हें प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी नहीं थी। अतः विलम्ब क्षम्य किया जाय। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत नामान्तरण की अपील 21 वर्षों के असाधारण विलम्ब के बाद की जाना ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार के असाधारण विलम्ब के आधार पर ही अपील खारिज योग्य है। विलम्ब के संबंध में अपीलाण्ट ने जो कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं अस्पष्ट व मिथ्या हैं। हस्तगत अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ पत्र में प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी दिनांक 10.07.2014 को होना कथन किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 20/2013 जो गुणपत सिंह के निधन पर 1971 में नामान्तरण के विरुद्ध है में भी वर्तमान अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के रूप में संलिप्त किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को सभी प्रविष्टियां की जानकारी तत्समय भी थी। उनका कथन रहा कि उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के न्यायालय में लम्बित उक्त अपील संख्या 20/2013



12  
जिला कलेक्टर  
जहानपुर

निर्णय दिनांक 26.03.2019 द्वारा 40 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत अपील समयावधि के बिन्दु पर खारिज की जा चुकी है। उनका तर्क रहा कि हस्तगत अपील में दिन प्रतिदिन विलम्ब के कारणों से संतुष्टि का पूर्ण अभाव रहा है। अपील समयावधि के बिन्दु पर कतैयी मेनटेनेबल नहीं होने से समयावधि के बिन्दु पर ही खारिज की जाये। गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलाण्ट का तर्क रहा कि अपीलाण्ट भंवर कंवर, किशन कंवर प्रत्यर्थी सायर कंवर की पुत्रिया है। उसके पति के भाई विजय सिंह के हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट का नाम आना चाहिए था जो नहीं आया। पिता गुणपत सिंह की मृत्यु पर उसकी भूमि उसकी पत्नी सायर कंवर के नाम दर्ज कर दी जिस पर अपीलाण्ट का नाम साथ में दर्ज करने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा भरे नामान्तरण के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। उस नामान्तरण के बाद के नामान्तरण की यह अपील है जिस पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाये। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 का तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को खातेदारी अधिकारों का अंतरण पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.03.1997 के जरिये हुआ है और भौतिक रूप से कब्जे का अंतरण होकर नामान्तरण स्वीकार होकर जमाबंदी में इन्द्राज हुआ है। यह कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के अनुसार भी इसके साथ होने की उपधारणा का आधार प्रदान करती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 में खातेदारी अधिकार पूर्व से निहित रहे है तथा धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत नामान्तरण कार्यवाही में इसे अपास्त नहीं किये जा सकते है। नामान्तरण कार्यवाही में इसे निर्णीत भी नहीं किये जा सकते। इस हेतु नियमित वाद ही केवल उपाय है जैसा कि 1222 RRT 2010 (2) में धारित किया गया है। उक्त नामान्तरण से पूर्व भी विक्रय विलेख आदि पर 5 नामान्तरण स्वीकार हुए है। अपीलाण्ट एवं उसकी माता प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा असदभाविक रूप से भूमि बेचान के बाद मिलावट से प्रश्नगत कार्यवाही की गई है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कृषि भूमि की सहदायिकी में पुत्रियों की हिस्सेदारी का प्रावधान नहीं रहा है। उनका तर्क रहा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संशोधन 2005 से पुत्रियों का विरासतन हिस्सेदार माना भी जाये तो यह कानून दिनांक 09.09.2005 से प्रभावशील है। इससे पूर्व हुई सम्पत्ति के अंतरण को अपीलाण्ट चुनौती नहीं दी जा सकती व इस कानूनन आधार पर प्रत्यर्थी को पूर्व में अंतरित अधिकारों को चुनौती नहीं दी सकती। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार धारा 6 के उक्त संशोधन को उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयन 350 आरआरडी 2015 (1) सम्पुष्ट किया गया है। जब अपीलाण्ट की अपने पिता की भूमि में ही तत्समय कोई प्रास्थिति नहीं रही है तो पिता के भाई की सम्पत्ति में तत्समय उसका विधिक आधार ही नहीं रहा है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने गुणावगुण के बिन्दु पर अपील मेनटेनेबल नहीं होकर सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण को अपीलार्थी द्वारा 21 वर्ष की कालावधि के अवसान के बाद चुनौती दी गयी है। अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुतीकरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी दिनांक 10.07.2014 को हुयी जबकि अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण संख्या 155/1977 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 20/2013 में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त नामान्तरण की जानकारी दिनांक 03.09.2013 को हुयी। स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तत्समय अभिलेखिय प्रविष्टियां की पूर्ण जानकारी रही है एवं अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण के न्यायालय में भिन्न भिन्न कथन किये गये है। स्पष्टतः अपीलार्थी द्वारा अपील में स्वच्छ हाथों (Clean hands) से नहीं आया गया है। हस्तगत अपील 21 वर्ष से अधिक कालावधि के बाद प्रस्तुत हुयी है। उक्त विवेचन एवं परिशीलन के आधार पर अपील समयावधि के बिन्दु पर ही अपास्त योग्य ठहरती है। गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि मृतक जिसके निधन पर प्रश्नगत नामान्तरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया जो अपीलार्थी के पिता का रिश्तेदार था। जब अपीलार्थी को अपने पिता की भूमि में हक का बिन्दु ही प्रश्नगत है तो अपीलार्थी के पिता के रिश्तेदार के खाते की भूमि में हिस्सेदारी का आधार ही उपलब्ध नहीं रहता। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6-सहदायिकी सम्पत्ति में हित के न्यायमन में दिनांक




Handwritten signature and official stamp at the bottom left corner.

09.09.2005 को किये संशोधन से पुत्री को हिन्दु परिवार में सहदायिक सम्मिलित किया गया हे जिसे पूर्ववर्ती दिनांक से प्रभावी नहीं माना जा सकता, ग्राहय ठहरता है । प्रश्नगत नामान्तरण सन् 2005 से 12 वर्ष पूर्व का है और उक्त संशोधन इस पर प्रभावी नहीं होता । उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयन 2012(1)आर. आर.टी.350 में इसकी सम्पुष्टि की गयी है । प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 03 द्वारा प्रश्नगत भूमि दिनांक 04.03.1997 को पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की गयी है । उक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी गुणावगुण के आधार पर पोषणीय नहीं ठहरती है । समग्र विवेचन के आधार पर अपील समयावधि बाधित होने से समयावधि एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है । उभय पक्ष अपना अपना व्यव वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



  
(नमित मेहता) 18/7/19  
जिला कलक्टर  
जयपुर